भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5011

23 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय : शून्य बजट प्राकृतिक खेती

5011. डॉ. तामिझाची थंगापंडियनः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए शून्य बजट प्राकृतिक खेती (जेडबीएनएफ) को बढ़ावा देने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परम्परागत कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का ब्यौरा क्या है और क्या ये जेडबीएनएफ से संबंधित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का दावा किया है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान घोषित की गई ऐसी सभी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में कहीं भी किसानों द्वारा जेडबीएनएफ की कृषि प्रथा का उपयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या जेडबीएनएफ का वैश्विक स्तर का उपयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): शून्य बजट प्राकृतिक खेती (जेडबीएनएफ) सहित जैविक कृषि पद्धतियां कम लागत के आदानों के उपयोग को बढ़ावा देती हैं, जिससे किसानों को बचत होती है। देश में जैविक खेती की क्षमता और लाभों को पहचानकर भारत सरकार वर्ष 2015-16 से परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) की समर्पित योजना के माध्यम से किसानों के कल्याण के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। पीकेवीवाई के तहत, राज्यों को किसानों की पसंद के आधार पर जेडबीएनएफ सहित जैविक खेती के किसी भी मॉडल को अपनाने के लिए छूट दी जाती है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत, राज्य स्तरीय संस्तुति समिति (एसएलएससी) के अनुमोदन से जेडबीएनएफ सहित किसी भी कृषि विकास परियोजनाओं के लिए राज्य निधियां प्राप्त कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य आरकेवीवाई योजना के तहत जेडबीएनएफ को कार्यान्वित कर रहा है।

(ख): सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने (डीएफआई) की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न कार्यकलाप किए हैं, जो **अनुबंध-I** पर है।

(ग) और (घ): राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत निम्नलिखित राज्य जेडबीएनएफ का कार्यान्वयन कर रहे हैं:

(i) आंध्र प्रदेश सरकार रायथू साधिकरा संस्था (आरवाईएसएस) के माध्यम से जेडबीएनएफ को बढ़ावा दे रही है। अब तक यह कार्यक्रम पीकेवीवाई और आरकेवीवाई के तहत 5.01 लाख एकड़ के क्षेत्र को कवर करते हुए आंध्र पदेश के सभी 13 जिलों के 664 मंडलों के 3011 गांवों में 5.23 लाख किसानों तक पहुंचा है।

(ii) कर्नाटक ने प्रलानात्मक अनुसंधान परियोजना (ओआरपी) मोड पर 10 कृषि जलवायु अंचलों में जेडबीएनएफ के कार्यान्वयन की शुरुआत की है।

(iii) हिमाचल प्रदेश ने अपने राज्य में "प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान" के माध्यम से जेडबीएनएफ के कार्यान्वयन की शुरुआत की है ।

(iv) हरियाणा ने कुरुक्षेत्र जिले के गुरुकुल में 80 एकड़ भूमि में जेडबीएनएफ के कार्यान्वयन की शुरुआत की है ।

(v) केरल राज्य ने जेडबीएनएफ के कार्यान्वयन की योजना बनाई है।

सरकार ने किसानों की आय को दोगुनी करने (डीएफआई) की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए विविध कार्यकलाप किए हैं:

i. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित करना ताकि उर्वरकों का ईष्टतम उपयोग किया जा सके।

ii. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)- प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) पहल जिसके तहत जल के ईष्टतम उपयोग, आदान लागत को कम करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

iii. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) जिसके अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है

iv. किसानों को इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन व्यापार प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए ई-नाम की शुरूआत की गई है।

v. जोखिम कम करने के लिए किसानों द्वारा किए गए कम प्रीमियम योगदान के साथ फसलों को बेहतर बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए मौसम से एक फसल बीमा योजना नामत: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) शुरू की है, जिससे यह योजना विशेष मामलों में फसलोपरांत जोखिमों सहित फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा कवर प्रदान करती है।

vi. ''हर मेढ़ पर पेड़" के अंतर्गत कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

vii. किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने मौसम 2018-19 से सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन की लागत से कम से कम 150 प्रतिशत तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।

viii. किसान अनुकूल कार्यकलापों को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने एक नई केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)' का अनुमोदन किया है। योजना का उद्देश्य केंद्रीय बजट 2018 में की गई घोषणा के अनुसार किसानों के उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। किसानों की आय को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया यह एक अभूतपूर्व कदम है और यह किसानों के कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

ix. मधुमक्खी पालन कार्यक्रम को परागण के जरिए फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में शहद के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयोजनार्थ समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।

x. गोवंशीय दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि और किसानों के लिए दूध उत्पादन को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन कार्यान्वित किया गया है।

xi. पशुधन की उत्पादकता को बढ़ाने और अनुवांशिक सुधार के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन कार्यान्वित किया गया है।

xii. मात्स्यिकी क्षेत्र में उच्च क्षमता को देखते हुए, इनलैंड और समुद्री मात्स्यिकी उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करके बहु आयामी कार्यकलापों के साथ नीली क्रांति का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

xiii. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ किसानों को अधिक से अधिक संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। सरकार 3 लाख रूपए के अल्पावधि फसल ऋण पर किसानों को ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट देती है। इस समय किसानों को प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध है जो शीघ्र अदायगी पर 4 प्रतिशत कम हो जाता है।

xiv. सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए ऋण के प्रवाह के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया है, बैंक लगातार वार्षिक लक्ष्य को पार कर रहे हैं। वर्तमान वर्ष का कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य 13.50 लाख करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है।

xv. इसके अलावा, ब्याज छूट स्कीम 2018-19 के तहत प्राकृतिक आपदा होने पर किसानों को राहत दिए जाने के लिए पुनर्संरचित राशि पर एक वर्ष के लिए बैंकों को ब्याज पर 2 प्रतिशत छूट देने की व्यवस्था जारी रहेगी। किसानों द्वारा अपने उत्पादों को मजबूरी में बेचने से रोकने और परक्राम्य रसीदों पर गोदामों में अपने उत्पादों को भंडारित करने संबंधी बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले छोटे किसानों को अगले 6 माह की अवधि हेतु इसी दर पर फसलोपरांत ऋण उपलब्ध होंगे।

xvi. सरकार ने पशुपालन और मात्स्यिकी से संबंधित कार्यकलाप करने वाले किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा देने का अनुमोदन किया है और ऐसी श्रेणियों के किसानों को भी ब्याज छूट सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।

xvii. देश भर के सभी किसानों को आय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने एक नई केन्द्रीय क्षेत्रक योजना यथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) शुरू की है ताकि उन्हें अपनी घरेलू जरूरतों के साथ-साथ कृषि और संबद्ध कार्यकलापों से संबंधित खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना का लक्ष्य उच्च आय वर्ग से संबंधित कतिपय अपवर्जनों के अध्यधीन किसानों को 2000 रुपये की चार-मासिक तीन किस्तों में 6000 रुपए प्रति वर्ष का भुगतान करना है। इस योजना के तहत लगभग 14.5 करोड़ किसानों को कवर किए जाने का अनुमान है।

xviii. सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ इन किसानों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के लिए एक अन्य नई केन्द्रीय क्षेत्रक योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है क्योंकि उनके पास ऐसी कोई बचत नहीं होती है कि वे अपनी आजिविका का साधन समाप्त होने पर वृद्धावस्था में अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। इस स्कीम के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पात्र लघु और सीमांत किसानों को प्रति माह न्यूनतम 3000 रूपए की निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना में पहले तीन वर्षों में लगभग 5 करोड़ लाभार्थियों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है, इसमें शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष है। सरकार ने मार्च, 2022 तक इस योजना के लिए 10774.50 करोड़ रूपए के बजटीय प्रावधान को मंजूरी दी है।

*****